BULANDSHAHR POLICE

दिनाँक 19 जनवरी, 2026 **CRACKDOWN BULANDSHAHR** **थाना स्याना**

चोरी की घटना में वांछित शातिर बदमाश के साथ थाना स्याना पुलिस की हुई मुठभेड़, जवाबी कार्यवाही में 01 बदमाश घायलावस्था में गिरफ्तार, कब्जे से अवैध असलहा ,कारतूस, चोरी करने के उपकरण व बुलेट बाइक बरामद।

अवगत कराना है कि दिनांक 18/19.01.2026 की रात्रि को एक अभिसूचना के आधार पर थाना स्याना पुलिस टीम हनीफ गढ़ी राणापुर वाले बम्बे के पास संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चैकिंग कर रही थी तभी बुलेट बाइक पर सवार 01 संदिग्ध व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया जिसको रूकने का इशारा किया गया, नहीं रुका तथा बदमाश पुलिस टीम को देखकर फायरिंग करते हुए बाइक को तेजी से मोड़कर भागने लगा। पुलिस टीम द्वारा बदमाश का पीछा कर घेराबंदी की गयी तो अपने आपको पुलिस से घिरता देख बदमाश द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की गयी, पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल हो गया जिसको घायलावस्था में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार/घायल बदमाश की पहचान टीटू उर्फ मोनू पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम बक्सर थाना सिम्भावली जनपद हापुड़ के रुप में हुई हैं। घायल बदमाश को उपचार हेतु सीएचसी स्याना में भर्ती कराया गया है। बदमाश के कब्जे से अवैध असलहा, कारतूस व बुलेट बाइक बरामद हुई है।

उल्लेखनीय है कि घायल बदमाश एक शातिर किस्म का चोर अपराधी है, जिसके द्वारा थाना स्याना क्षेत्र में दिनांक 15.11.2025 को मण्डी स्थित दुकान में चोरी तथा दिनांक 22.11.2025 को मौ0 पट्टी डहर में घर के बाहर से ट्रैक्टर चोरी की घटनाएँ कारित की गई थीं, जिनके सम्बन्ध में मु0अ0सं0 390/25 धारा 305(ए) बीएनएस व मु0अ0सं0 435/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत हैं। उक्त दोनों अभियोगों में अभियुक्त टीटू उर्फ मोनू लगातार वांछित चल रहा था तथा उसके विरुद्ध चोरी, लूट आदि के कुल 10 अभियोग पंजीकृत हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. टीटू उर्फ मोनू पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम बक्सर थाना सिंभावली जनपद हापुड़

बरामदगी-

1- 01 अवैध तमंचा 315 बोर 02 जिंदा व 01 खोखा कारतूस
2- 01 बुलेट बाइक (DL 1S W 7458)
3- चोरी करने के उपकरण

गिरफ्तार अभियुक्त टीटू उर्फ मोनू का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं 390/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर
2. मुअसं 435/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर
3. मुअसं 404/17 धारा 392 बीएनएस थाना सिम्भावली जनपद हापुड़
4. मुअसं 48/16 धारा 379/411/420 बीएनएस थाना मेडिकल जनपद मेरठ
5. मुअसं 41/12 धारा 414 बीएनएस थाना सिम्भावली जनपद हापुड़
6. मुअसं 03/17 धारा 420 बीएनएस थाना सिम्भावली जनपद हापुड़
7. मुअसं 42/17 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना सिम्भावली जनपद हापुड़
8. मुअसं 197/17 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना सिम्भावली जनपद हापुड़
9. मुअसं 310/10 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना सिम्भावली जनपद हापुड़
10. मुअसं निल/10 धारा 41/102/411 द0प्र0सं0 थाना सिम्भावली जनपद हापुड़

अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना स्याना पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- श्री यज्ञदत्त शर्मा प्रभारी निरीक्षक थाना स्याना।

2- निरीक्षक श्री सैयद हसामुद्दीन थाना स्याना।

3- उ0नि0 अजय कुमार, उ0नि0 मनीष कुमार।

4- है0का0 अमित बढ़ाना, का0 पंकज, का0 सुन्दर, का0 राजवीर, का0 अमित।

मीडिया सेल बुलंदशहर